झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— राo खाo आo (विविध) 15/2022— 574

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

निदेशक
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 04/07/2022

विषयः— **जनवितरण प्रणाली वितरकों द्वारा कटौती किये गये अनाज के मात्रा के अनुसार लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः— आपका पत्रांक—1014 दिनांक—21.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के पत्रांक—345 दिनांक—01.04.2022 द्वारा सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को अवशेष अनाज के adjustment के लिये राशन डीलरों को कम आवंटन मिलने पर राशन डीलरों द्वारा लाभुकों को कम अनाज दिये जाने के मामले को संज्ञान में लाया गया था। साथ ही ऐसे सभी डीलर जिनके पास बैकलॉग अनाज होने के कारण कटौती की जा रही है, से सम्बन्धित अनाज का वितरण कैम्प लगवाकर पर्याप्त सरकारी निगरानी में कराये जाने का सुझाव दिया गया था। उक्त के क्रम में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्रांक—831 दिनांक—19.05.2022 द्वारा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में कृत कार्रवाई के फलाफल से आयोग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

4/7/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx159

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261